न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र
आर.ए.एस.

सं. 23/2025
सीएमएस : 2025/369

1. सरस्वती पुत्री स्व. श्री हमीरा राम पत्नी श्री सोहन लाल जाति नायक साकिन 60 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

तारीख रजू:– 14.08.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री मंगतराम अधि. प्रार्थीया।
2. राजपेरोकार सरकार अप्रार्थी।

–निर्णय–

दिनांक :– 02.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि वाके चक 74 आरबी तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 37/35 प.नं. 226/265 मु.नं. 60 के कि.नं. 1 ता 25 में कुल 6.325 है. बारानी भूमि खातेदारी में प्रार्थीया के नाम से 1/10 हिस्सा यानि 0.6325 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में सरबती पुत्री हमीराराम जाति नायक के नाम से दर्ज है यह रकबा मुझ प्रार्थीया को पिता के देहान्त के बाद विरास्तन में प्राप्त हुआ है और मेरे नाम नामान्तरण दर्ज होकर जमाबन्दी बनाई गई है उक्त भूमि विरास्तन में प्राप्त होने के कारण मुझ प्रार्थीया का अपने पीहर चक 74 आरबी में मेरे माता–पिता द्वारा मेरा नाम सरबती पुत्री हमीराराम के नाम जानते पहचानते है इसलिए जामबन्दी मे मेरा नाम सरबती दर्ज हो गया। जबकि मेरा नाम सरस्वती पुत्री हमीराराम पत्नी सोहनलाल है और मेरे ससुराल में मुझ प्रार्थीया को सरस्वती पुत्री हमीराराम पत्नी सोहनलाल के नाम से ही जानते है और मेरे दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड गैस कॉपी व बैंक खाता भारतीय स्टेट शाखा श्री करनपुर में इत्यादि में मुझ प्रार्थीया का नाम सरस्वती अंकित है इस प्रकार सरबती व सरस्वती मुझ प्रार्थीया के ही नाम है इस नाम की अन्य कोई महिला नहीं है केवल पीहर में लाड व प्यार से सरबती बोलते है और ससुराल में मुझ प्रार्थीया को सरस्वती बोलते है और मेरा समस्त रिकार्ड सरस्वती के नाम से है जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में उक्त भूमि में काश्तकार के नाम की जगह सरबती पुत्री हमीराराम अंकित है जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाना चाहती है और संशोधित करवाना चाहती है कि सरबती के स्थान पर सरस्वती पुत्री हमीराराम पत्नी सोहनलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। जमाबंदी व अन्य दस्तावेज में मेरा नाम अलग–अलग होने से मुझ प्रार्थीया को बैंक लोन व सोसायटी उठाने में असुविधा होती है और बार–बा रनाम की अड़चन आने से काफी दिक्कत महसुस होती है इसलिए मुझ प्रार्थीया अपने ससुराल वाले नाम सरस्वती पुत्री हमीराराम पत्नी सोहनलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूं संशोधित नाम करने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा नहीं है प्रार्थीया हमीराराम की पुत्री है और मेरे पिता ने मेरी शादी सोहनलाल के साथ की है और ससुराल में सरबती के स्थान पर सरस्वती के नाम बने हुए है इसलिए मैं अपना नाम सरस्वती ही राजस्व रिकार्ड में रखना चाहती हूं इसलिए न्यायहित में सरबती के स्थान पर सरस्वती किया जावे। प्रार्थीया दिनांक 05.08.2025 को सोसायटी में खाता खुलवाने के लिए गई तो उन्होने कहा कि आपके कागजात सरस्वती के नाम से बने है और जमाबन्दी में सरबती है आप नाम दुरूस्त करवाकर लाओ। इस भूमि के समस्त दस्तावेज सरस्वती के नाम से बने हुये है स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को भू[illegible] के कारण पक्षकार बनाया गया है क्योकि उक्त दुरूस्ती इनके रिकार्ड में की ज[illegible] आवश्यक पक्षकार बनाया गया है आवेदन पत्र माननीय न्यायालय [illegible] है और अन्दर मियाद प्रस्तुत है और पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible]वेदन है कि चक 74 आरबी तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 37/35 प.नं. 226/265 [illegible] 60 के कि.नं. 1 ता 25 में कुल 6.325 है. बारानी भूमि खातेदारी में प्रार्थीया के नाम से 1/10 हिस्सा यानि 0.6325 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में सरबती पुत्री हमीराराम के स्थान पर सरबती पु[illegible] हमीराराम पत्नी सोहनलाल दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे। और उक्तानुसार संशोधन करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमाया जावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो बहक प्रार्थीया सादिर फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया।

तहसीलदार रायसिंहनगर ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/5699 दिनांक 25.09.2025 से अवगत करवाया कि मुताबिक रिकार्ड अनुसार चक 74 आरबी के जमाबन्दी के खाता संख्या 37 प.नं. 226/265 के मु.नं. 60 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 है. बारानी भूमि में 1/10 हिस्सा सरबती पुत्री हमीरा राम जाति नायक साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त नाम जरिये नामान्तरण संख्या 393 विरासतन हमीरा वल्द रूघाराम जाति नायक से दर्ज हुआ है उस समय से रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सरबती पुत्री हमीराराम दर्ज है तथा यही नाम आज दिनांक तक रिकार्ड में चला आ रहा है रिकार्ड मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। भूमि धारक अप्रार्थी तहसीलदार रायसिंहनगर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अन्य समस्त दस्तावेज सरस्वती के पेश कर सरबती के स्थान पर सरबती उर्फ सरस्वती करने हेतु निवेदन किया है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्य समस्त दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के चक 74 आरबी के जमाबन्दी के खाता संख्या 37 प.नं. 226/265 के मु.नं. 60 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 है. बारानी भूमि में 1/10 हिस्सा सरबती पुत्री हमीरा राम के स्थान पर सरबती उर्फ सरस्वती पुत्री हमीरा राम के दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested